न्यायालय, समाहर्त्ता, खगड़िया।

आपूर्ति अपील वाद संख्या–07 / 2014–15
रूपेश कुमार दीपक
बनाम
राज्य (अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी।)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1.	02.	3.

आदेश

23.8.2016 आपूर्ति अपील अंतर्गत विचाराधीन वाद संख्या–07 / 2014–15 रूपेश कुमार दीपक द्वारा लाया गया है, जो अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया–सह–अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा, अनुज्ञप्ति संख्या–81जी0 / 2007 जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत झिकटिया, थाना–महेशखूँट, जिला–खगड़िया, के रद्द कर दिये जाने से उद्भूत है।

सारांश रूप में प्रश्नगत अनुज्ञप्ति के रद्द किये जाने का आधार अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता रूपेश कुमार दीपक द्वारा अगस्त 2014 से उपावंटित खाद्यान्न की प्राप्ति के लिए कीमत स्वरूप राशि / बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं किया जाना वर्णित है। आदेश में ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी के प्रतिवेदन का उल्लेख है कि विक्रेता द्वारा अगस्त 2014 से दिसम्बर 2014 तक उपावंटित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं अन्त्योदय अन्न योजना के खाद्यान्न का बैंक ड्राफ्ट दिनांक 29.11.2014 तक जमा नहीं किया गया था। उक्त अनियमितता से संबंधित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के ज्ञापांक–2479 दिनांक 10.12.2014 द्वारा संदर्भित अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी।

Received for stated 20/8/2016

अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश को न्यायाहित के विरूद्ध मानते हुए अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित करने का अनुरोध किया गया है। सुनवाई के दौरान उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा भी समरूप बातें कही गयी।

सरकारी विज्ञ अधिवक्ता ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि अपीलार्थी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य योजना एवं अन्त्योदय अन्न योजना का उपावंटित खाद्यान माह अगस्त 2014 से दिसम्बर 2014 तक का बैंक ड्राफ्ट नहीं जमा किया है एवं खाद्यान व्यपगत हो जाने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत झिकटिया के उपभोक्ता को लाभ से वंचित होना पड़ा है, जो सार्वजनिक वितरण नियंत्रण आदेश 2001 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसतरह अपीलार्थी का अपील आवेदन तर्क संगत नहीं है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही है तथा अपील आवेदन खारिज करने योग्य है।

तथ्यों के परिशीलन के क्रम में निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के आदेश फलक के पठन से स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व वस्तु स्थिति की सम्यक समीक्षा की गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि स्पष्टीकरण पूछने के उपरांत विक्रेता द्वारा अगस्त 2014 से अक्टूबर 2014 तक का बैंक ड्राफ्ट तो जमा किया गया परन्तु नवम्बर एवं दिसम्बर 2014

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	का बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं किया गया। साथ ही साथ विक्रेता द्वारा कार्यअवधि में दुकान बंद रखने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।	
	सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर सके कि उनके द्वारा स–समय बैंक ड्राफ्ट क्यों नहीं जमा किया जा सका था। अपीलार्थी के बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं करने से एक चिन्हित समूह लाभ से वंचित रह गया। इस तथ्य से विक्रेता की संवेदनहीनता प्रदर्शित होती है। न्यायालय उनके कथन से संतुष्ट नहीं है।	
	उक्त स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने से संबंधित आदेश ज्ञापांक–2479 दिनांक 10.12.2014 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश को यथावत रखा जाता है।	
	लेखापित एवं संशोधित	
	समाहर्त्ता, खगड़िया। समाहर्त्ता, खगड़िया।	
	डी0बी0 04 (50) /विधि, दिनांक 23/08/2016	
	प्रतिलिपि :–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।	
	प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आदेश की प्रति, जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।	
	23/8/2016 प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, खगड़िया।	